न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 16/2014 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– जगदीशसिंह चौहान पुत्र श्री सुधरसिंह चौहान निवासी 20 गांधी नगर, जी.टी.रोड़ थाना गुरसहायगंज जनपद जिला कन्नौज राज्य उत्तरप्रदेश।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्रपाल शर्मा — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 8.1.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के बिना नम्बर–क्रमांक/दिनांक पारित आदेश, जिसमें अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 29/69 एडीएम श्रीगंगानगर को लाइसेंस पंजिका में निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 29/69 एडीएम श्रीगंगानगर बना है, जिस पर एक 32 बोर रिवाल्वर नं. ए–62858 दर्ज है। अपीलांट शस्त्र लाईसेंस बनवाते समय भारतीय खाद्य निगम में गुणवत्ता निरीक्षक (Quality Inspector) के पद पर हनुमानगढ जंक्शन में पदस्थापित था बाद में जिला झूँझनू में पदस्थापित होने के कारण अपीलांट ने उक्त शस्त्र 32 बोर रिवाल्वर नं. ए–62858 जिला झूँझनू (राज.) से क्रय किया था, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट, झूँझनू द्वारा शस्त्र लाईसेंस पर उक्त शस्त्र दिनांक 29.12.1970 को दर्ज किया गया है। शस्त्र लाईसेंस अति.जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जारी है, कालान्तर में हनुमानगढ नवीन जिला बनने पर उक्त शस्त्र से संबंधित रिकार्ड जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ को हस्तान्तरित किया गया। शस्त्र लाईसेंस जारी किये जाने से संबंधित पंजिका फार्म नं. 16 रजिस्टर पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ने निरस्त का नोट अंकित कर दिया, जिस पर निरस्ती संबंधी कोई पृथक आदेश नहीं है और ना ही आदेश जारी होने का क्रमांक/दिनांक अंकित है। अपीलांट ने नौकरी से सेवानिवृत होने के बाद अपने गृह जिला कन्नौज में शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन किया, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने वाली ऑथोरिटी जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ से पत्राचार किया, परन्तु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर अपीलांट स्वंय जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के कार्यालय में दिनांक 5.11.2014 को उपस्थित होने पर उसे बताया गया कि आपका शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में शस्त्र क्रय करके रिकार्ड में इन्द्राज नहीं करवाने के कारण स्वतः निरस्त होने से निरस्ती का नोट अंकित कर दिया गया है। इसी बिना नम्बरी/दिनांक निरस्ती आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी । अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी । अभिभाषक अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब से होना बताया है, जिसके समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट वास्ते समाअत अदालतवाला अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री सुरेन्द्रपाल शर्मा का मुख्य कथन है कि अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.1973 तक जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के यहॉ से नवीनीकृत है। अपीलार्थी अलग–अलग स्थानों पर नियुक्ति पर जहॉ रहा अपने शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण नियमानुसार करवाता रहा है व सेवानिवृति के उपरान्त अपने गृह जिले कन्नौज में जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज (उत्तर प्रदेश) के यहॉ उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अनापत्ति बाबत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से पत्राचार किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त लाईसेंस संबंधी रेकार्ड नया जिला हनुमानगढ बनने पर उक्त रिकार्ड जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के कार्यालय में स्थानान्तरित किये जाने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज को प्रेषित की गई। तत्पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ से पत्राचार किया गया, परन्तु यहॉ से लम्बे समय के अन्तराल पर भी कोई सूचना नहीं भिजवाई गई, जो मजबूरीवश अपीलांट स्वंय को हनुमानगढ आया एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के कार्यालय

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में सम्पर्क किये जाने पर लाइसेंस सं0 26/69 फार्म नं. 16 लाइसेंस रजिस्टर पर निरस्त होने का नोट अंकित होना बताया गया। बहस जारी रखते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश नॉन स्पीकिंग की तारीफ में आता है, जो मात्र एक छपाई मोहर के द्वारा पारित किया गया है, जिस पर कोई दिनांक या क्रमांक का अंकन नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने हेतु कोई नोटिस आदि जारी नहीं किया गया, ना ही कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन आदेश ज्यूडिशियल माईन्ड अप्लाई किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है। इस प्रकरण में अपीलांट ने नियमानुसार निर्धारित समयावधि में शस्त्र खरीद किया और उसका पृष्ठांकन शस्त्र खरीद के स्थान पर उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में शस्त्र लाईसेंस पंजिका में दर्ज करवा दिया। इसके बाद उक्त शस्त्र लाईसेंस का दिनांक 30.12.1970 से 31.12. 1973 की अवधि के लिये नवीनीकरण एवं शस्त्र का भौतिक सत्यापन भी करवाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा निर्धारित समयावधि में शस्त्र क्रय ना करने के कारण शस्त्र लाईसेंस स्वतः निरस्त किया जाना अपने आप में गलत व नियम विरूद्ध है क्योंकि लाइसेंस पंजिका फार्म नं. 16 रजिस्टर में स्वतः ही स्पष्ट है कि उक्त लाईसेंस का नवीनीकरण किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र से संबंधित पंजिका में अपीलांट द्वारा निर्धारित समयाविध में शस्त्र क्रय कर उसका अंकन नहीं करवाये जाने के कारण ही निरस्त का नोट अंकित किया गया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख फार्म नं. 16 लाइसेंस पंजिका की प्रमाणित प्रति का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है । अपीलाधीन आदेश नॉन स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में आता है, केवल शस्त्र लाइसेंस पंजिका के फार्म नं. 16 पर ''निरस्त '' का अंकन किया गया है, जिस पर कोई क्रमांक/दिनांक का अंकन नहीं है, जिससे यह ज्ञात नहीं होता कि शस्त्र लाईसेंस कब निरस्त किया गया। जबकि अपीलांट ने निर्धारित समयावधि में ही शस्त्र क्रय कर जिला मजिस्ट्रेट,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

झूँझनू से इसका संबंधित अभिलेख में अंकन करवा लिया था तथा कलेक्ट्रेट कन्नौज से दिनांक 31.12.2009 तक नवीनीकरण भी हुआ है ।

8. अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट के लाइसेंस सं0 26/69 एडीएम गंगानगर के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का आदेश बिना क्रमांक/दिनांक शस्त्र लाइसेंस पंजिका के फार्म नं. 16 पर किये गये ''निरस्त'' के अंकन को हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 26/69 के बाबत विधि सम्मत आदेश पारित करें।

9. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 8.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर